वन विभाग हरियाणा

काष्ठ आधारित उद्योग

आवश्यक सूचना – 4

हरियाणा राज्य के सभी लाईसैंसशुदा काष्ठ आधारित उद्योगों को इस प्रैस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वन विभाग हरियाणा की वैबसाईट www.haryanaforest.gov.in पर ऑन लाईन मोड में लाईसैंस पंजीकरण व नवीनीकरण (Registration and Renewal) के लिए फार्म भरने की तिथि इस कार्यालय द्वारा 13 फरवरी 2017 से 15 मई 2017 तक रखी गई थी जिसकी अवधि अब बढ़ाकर 30 मई, 2017 की जाती है। इसलिए सभी काष्ठ आधारित उद्योगों से अनुरोध किया जाता है कि वह अपने लाईसैंस का पंजीकरण एवं नवीनीकरण करने के लिए निर्धारित तिथि तक ऑन लाईन फार्म भरना अवश्य सुनिश्चित करें क्योंकि भविष्य में समय बढ़ौतरी नहीं की जाएगी। यदि किसी काष्ठ आधारित उद्योग मालिकों द्वारा दिनांक 30 मई 2017 तक अपना लाईसैंस नवीनीकरण फार्म नहीं भरा गया तो उसका लाईसैंस रद्द कर दिया जाऐगा जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा ।

इसे अति आवश्यक समझा जाए।

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–I, एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा,
सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला।

पृ0 कमांकः– 5172 वन संरक्षक/ दिनांकः– 12/05/2017

एक प्रति सर्व वन मण्डल अधिकारियों क्षेत्रीय हरियाणा को भेजते हुए निर्देश दिए जाते हैं कि वह अपने वन मण्डल के अधीन सभी काष्ठ आधारित लाईसैंस धारकों को पत्र जारी करें कि वह 30 मई, 2017 तक हर हालत में अपना लाईसैंस नवीनीकरण फार्म ऑन लाईन भरने के निर्देश देवें अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद फार्म स्वीकृत नहीं किए जाएंगें। **इसे अति आवश्यक समझा जाए।**

मुख्य वन संरक्षक, सुरक्षा–I, एवं सदस्य सचिव,
राज्य स्तरीय समिति, काष्ठ आधारित उद्योग, हरियाणा,
सी–18, वन भवन, सैक्टर–6, पंचकूला।